उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–5873/आठ–1–05–34विविध/03टीसी–1
लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2006

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास की नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं के निर्धारित से संबंधित शासनादेश संख्या : 5873/आठ–1–05–34विविध/03टीसी–1 दिनांक : 29 दिसम्बर, 2005 के प्रस्तर–1(10) की व्यवस्थानुरूप राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण के अंतर्गत समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

(1)	संबंधित विकास प्राधिकरण/परिषद के उपाध्यक्ष/आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	संबंधित विकास प्राधिकरण/परिषद के मुख्य अभियन्ता (मुख्य अभियन्ता न होने की स्थिति में प्रभारी अधिकारी)	सदस्य
(3)	संबंधित विकास प्राधिकरण/परिषद के वित्त नियंत्रक	सदस्य
(4)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक (शासन के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
(5)	संबंधित विकास प्राधिकरण/परिषद का मुख्य नगर नियोजक/प्रभारी नियोजक/मुख्य वास्तुविद	सदस्य

2– उपर्युक्तानुसार गठित समिति का कार्यक्षेत्र निम्नवत् होगा :–

(1) नीति के अधीन निजी विकासकर्ताओं के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षणोपरान्त अन्तिम निर्णय लेना।

(2) बल्क भूमि आवंटन प्रणाली के अधीन आमंत्रित फाइनेंशियल बिड्स के संबंध में निर्णय लेना।

(3) लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं संस्तुति करना।

सुरजीत कौर सन्धु
प्रमुख सचिव